

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) गोड्डा

एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (कृषि उन्नति योजना)

एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (कृषि उन्नति योजना) अन्तर्गत प्रखण्ड स्तर पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना ।

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा), गोड्डा द्वारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (कृषि उन्नति योजना) अन्तर्गत अंकित अर्हता एवं अनुभव के आधार पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु निम्नांकित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

पद कोड	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	अपेक्षित अनुभव	नियुक्ति का प्रकार	अनुबंध अवधि	मानदेय (रु० में)
01	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक (BTM)	Post Graduate in Agriculture/ Allied Sector with computer skills or Agri- Graduates with atleast 5 years working experience as ATM	Minimum 02 years field experience in agriculture related activities	संविदा आधारित	एक वर्ष	Consolited Rs 30000/- per month
02	सहायक तकनीकी प्रबंधक (ATM)	Graduate in Agriculture/ Allied sector	Minimum 01 year experience in agriculture related activities	संविदा आधारित	एक वर्ष	Consolited Rs 25000/- per month

प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक की श्रेणीवार रिक्तियाँ

पद कोड	पदनाम	सामान्य (Gen)	अ0जा0 (SC)	अ0ज0जा0 (ST)	पिछडा वर्ग (BC-2)	अत्यन्त पिछडा वर्ग (BC-1)	EWS	कुल
01	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक (BTM)	04	01	02	00	00	00	07
02	सहायक तकनीकी प्रबंधक (ATM)	11	02	07	02	02	02	26

चयन की भाँति :-

- I. विज्ञापित पद संविदा आधारित है। संविदा एक वर्ष के लिए अनुमान्य होगा, आवश्यकतानुसार प्रत्येक वर्ष Performance Appraisal Report के आधार पर कार्य अवधि का विस्तार किया जायेगा।
- II. नियोजन संविदा पर की जाएगी। भविष्य में स्थाई नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- III. उपरोक्त सभी पदों में जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर अनुमान्य होगा। नियुक्ति में झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण जिला रोस्टर लागू होगा। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के आवेदक का अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति/निवासी प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- IV. आवेदक निर्बंधित डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आवेदन पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

- V. एक से अधिक पदों के लिए आवेदन हेतु आवेदक को अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा।
- VI. इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन के साथ भौक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों (यथा अंक पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र / स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र 40 प्रति 10 से अधिक (यदि लागू हो), कार्यानुभव प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर दक्षता सहित आदि) का स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करेंगे।
- VII. आवेदक को आवेदन के साथ फौजदारी मुकदमों में दण्डित नहीं होने / न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं होने के आशय का शपथपत्र (प्रकाशित भाषण पत्र नमूना में) ननजुडिसियल स्टाम्प पेपर में संलग्न करना होगा
- VIII. गलत, अपूर्ण संलग्न कागजात एवं अधूरे भरे हुए आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा।
- IX. आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने पर बाद में इसपर विचार नहीं किया जाएगा।
- X. जो अभ्यर्थी भौक्षणिक योग्यता के लिए CGPA स्कोर-कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं, वे मार्क शीट के साथ-साथ CGPA रूपांतरण चार्ट (Conversion Chart) भी प्रस्तुत करेंगे।
- XI. मेधा सूची हेतु अंक तालिका –

क्र0	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता / अन्य योग्यता	निर्धारित अंक
1	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक (BTM)	B.Sc. Agriculture /Allied sector	30
2		M.Sc Agriculture/Allied sector	10
3		PGDAEM	10
4		Computer (Excel-05, Powerpoint-05, Word-10)	20
5		Work Experience	20
6		Special Weightage (For 2 Year or More work done at ATMA/SAMETI)	10
Total			100

Note – Work Experience (At least 2 year experience in concerned discipline - work under Govt. sector 04 marks for each year, Semi Govt/PSU sector 04 marks for two years and in private sector 04 marks for Three years)

क्र0	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता / अन्य योग्यता	निर्धारित अंक
1		Intermediate	10
2	सहायक तकनीकी प्रबंधक (ATM)	B.Sc. Agriculture /Allied sector	35
3		M.Sc Agriculture/Allied sector	15
4		Computer (Excel-10, Powerpoint-05, Word-15)	30
5		Special Weightage (For 2 Year or More work done at ATMA/SAMETI)	10
Total			100

- XII. F N0-3-3/2017 Government of India. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare Department of Agriculture Cooperation & Farmers Welfare (Directorate of Extension) Krishi Vistar Bhawan Pusa New Delhi-110012 Dated January 1st. 2018 के द्वारा Agriculture / Allied Subjects के अन्तर्गत यथा Agriculture, Horticulture, Agriculture Engineering, Dairy Technology, Forestry, Veterinary & Animal Science Food Technology, Bio Technology, Fisheries, Sericulture, Home/ Community Science and Food Nutrition & Dietetic as Professional Degree Courses विशयों को ही समाहित किया गया है ।
- XIII. उक्त दोनो पदों पर चयन हेतु कुल पूर्णांक 100 अंक होगा तथा अहर्ता हेतु Cut off Marks अनारक्षित वर्ग के लिए 50 अंक एवं आरक्षित वर्ग हेतु 40 अंक का होगा ।
- XIV. इन दोनो पदों का नियोक्ता पदाधिकारी परियोजना निदेशक, आत्मा, गोड्डा होंगे । अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न विधाओं में Weightage के अनुसार होगा तथा अभ्यर्थियों की कम्प्यूटर दक्षता एवं प्रमाण पत्रों की जाँच गठित चयन समिति के सदस्यों द्वारा किया जायेगा ।
- XV. चयनित अभ्यर्थी को परियोजना निदेशक, आत्मा के साथ संविदा एकरारनामा करना होगा ।
- XVI. चयनित अभ्यर्थियों का संविदा एकरारनामा की तिथि से संविदा प्रारम्भ मानी जाएगी ।
- XVII. उक्त नियुक्ति में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-14/स्थानीयता नीति-14-04/2018 का0-821, दिनांक 05.02.2021 से लागू स्थानीयता नीति का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा एवं नियुक्ति में झारखण्ड राज्य के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी ।
- XVIII. आवेदन पत्र एवं अधिक जानकारी हेतु विवरणी NIC के वेबसाईट www.godda.nic.in एवं आत्मा गोड्डा के वेबसाईट www.atmagodda.org पर देखा जा सकता है ।
- XIX. प्रकाशित विज्ञापन में प्रकाशित पदों की संख्या एवं किसी कंडिका को परिवर्तित करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा ।
- XX. नियुक्ति हेतु विज्ञापन अथवा प्रक्रिया को बिना कारण बताये अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निरस्त किया जा सकता है । भविष्य में विभाग पर आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा ।
- XXI. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित सभी मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले स्थान से कराया जाएगा । प्रमाण-पत्र गलत पाये जाने पर संबंधित कर्मियों का अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।
- XXII. संविदा के आधार पर अनुबंधित कर्मियों की सेवा संतोशप्रद नहीं रहती है तो एक माह की नोटिस पर तत्काल अनुबंध समाप्त किया जा सकता है ।
- XXIII. कार्यानुभव प्रमाण-पत्र के साथ जिस संस्थान का कार्यानुभव लगाया गया है उससे वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र (Pay Slip), बैंक विवरणी (showing receipt of Salary every month) एवं संस्थान में कार्य करने के समय का Joining Letter संलग्न करना होगा ।

- XXIV. विज्ञापित अर्हता, योग्यता के अनुरूप समिति द्वारा Shortlisted अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।
- XXV. नियुक्ति प्रक्रिया में जिला चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- XXVI. जिला चयन समिति गोड्डा मेधा सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित करेगी।
- XXVII. नियुक्ति में झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण जिला रोस्टर लागू होगा। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के आवेदक को अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति/निवासी प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- XXVIII. उपरोक्त नियुक्ति नियमावली में किसी भी तरह का बदलाव हेतु अद्योहस्ताक्षरी स्वतंत्र हैं, इसपर किसी भी तरह का दावा मान्य नहीं होगा।

ह0/-
परियोजना निदेशक, आत्मा
गोड्डा

ह0/-
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, आत्मा
गोड्डा।